2014/00079 (45)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मूसलपुर)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–83/2014

1–त्रिवेनी पुत्रीश्री मूंगाराम जाति लोधा निवासी ग्राम नगरिया तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

————वादिया

बनाम

1–द्वारिका 2–ग्याप्रसाद पुत्रगण ग्यासिया
3–जीतेन्द्र पुत्रश्री रामनाथ नावालिग वसरपरस्ती पिता रामनाथ
समस्त जातिगण लोधा निवासी ग्राम नगरिया तहसील सैपऊ
4–पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनबाब जरिये शाखा प्रबन्धक
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला धौलपुर (राज.)

.........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्रीमती त्रिवैनी – वादिया

निर्णय **दिनांक : 03.07.2017**

वादिया की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटबारा काश्त आराजी खसरा नम्बर 26, 43, 46, 49, 53, 143, 144, 145, 146, 158, 200, 303, 309, 310, 311, 312, 48, 480, वाके ग्राम नगला खरगपुर तहसील सैपऊ न्यायालय में पेश किया, जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 8.5.2017 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये । वादिया उपस्थित आई ।

विभाजन प्रस्ताव पर वादिया को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का पक्षकारों को अवलोकन कराया गया । वादिया ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही तैयार कर भिजवाये गये है । ऐसी स्थिति में हम मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अंतिम डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम नगला खरगपुर तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–त्रिवेनी पुत्री मूंगाराम जाति लोधा निवासी नगरिया मजरा नगला खरगपुर राहिन सिडीकेट बैंक शाखा धौलपुर तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	26	1.15
	200	1.06
	303	1.09
	309	2.01
	310	1.12
	311	1.16
	48/1	2.03
	143/2	0.14
कुल	08	12.16

2–द्वारिका, ग्याप्रसाद पिसरान ग्यासिया जाति लोधा निवासी ग्राम नगरिया मजरा नगला खरगपुर राहिन पंजाब नेशनल शाखा बसईनबाब तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	43	2.14
	46	1.15
	49	0.18
	53	0.16
	144	0.14
	158	0.18
	312	1.16
	48/2	0.19
	143/1	0.15
	480/1	1.00
कुल	10	12.05

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

3–जीतेन्द्र नावालिग पुत्रश्री रामनाथ जाति लोधा निवासी ग्राम नगरिया मजरा नगला खरगपुर तहसील सैपऊ सरपरस्त पिता खुद रामनाथ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	480 / 2	0.12
कुल	1	0.12

आराजी खसरा नम्बर 145 एवं 146 वाके ग्राम नगला खरगपुर तहसील सैपऊ पूर्ववत् पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी में रहेगें ।

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र मूसलपुर